समग्र सामाजिक सुरक्षा नि:शक्त पेंशन योजना

योजना कब प्रारंभ की गई

- वर्ष 2016

पात्रता के मापदंड

- दिव्यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो

अर्हताएं

- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- दिव्यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं नि:शक्तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

₹सहायता

- ₹ 600 प्रतिमाह

₹सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

- निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- नि:शक्तता का प्रमाण पत्र
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

₹स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

- ग्रामीण क्षेत्र - ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र - आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

₹आवेदन निराकरण की समय – सीमा

- लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

मध्यप्रदेश शासन

दिव्यांग, वृद्ध और विधवाओं का ध्यान बढ़ाई पेंशन राशि और लिया संज्ञान

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

सम्मान राशि में वृद्धि

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय वृद्धावस्था
पेंशन

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय नि:शक्त
पेंशन

इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय विधवा
पेंशन

योजनाओं में पेंशन राशि बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह की गई।

- समग्र सामाजिक पेंशन सुरक्षा योजना में वृद्ध, दिव्यांग, परित्यक्ताओं, कल्याणियों, अविवाहित महिलाओं, कन्या अभिभावकों और वृद्धाश्रमवासियों की पेंशन राशि भी बढ़ाकर 600 रुपये प्रतिमाह की गई।
- 6 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक रूप से अविकसित, बहु विकलांग, प्रमस्तिष्क घात और स्वपरायणता से ग्रस्त लोगों को पात्रतानुसार 600 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान करने का निर्णय।
- प्रदेश के 40 लाख 37 हजार 553 लोग होंगे लाभान्वित।

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2019

बदलाव के लिए संकल्पित - मध्यप्रदेश सरकार

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी